

निरीक्षण टिप्पणी

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड से कोटला मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 6.00कि०मी०) हेतु अपेक्षित 3.0415 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु मार्ग के समरेखण में बाधित हो रहे बांज वृक्षों की निरीक्षण टिप्पणी ।

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लाक	बाधित बांज वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण									
		0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	योग
आरक्षित वन भूमि	बियाली कं० नं 1बी, 2बी 4 ए तथा 10 बी	0	0	03	0	2	02	0	0	0	7
	योग वन भूमि	0	0	03	0	02	02	0	0	0	7
नाप भूमि	कुड कोटला	0	0	2	3	2	1	0	0	0	8
कुल योग		0	0	5	3	4	3	0	0	0	15

बांज से अतिरिक्त वृक्षों का विवरण

भूमि का प्रकार	वृक्ष प्रजाति	बांज से अतिरिक्त अन्य प्रजाति के वृक्ष जो बाधक है, की संख्या										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90से ऊपर	योग
आरक्षित बियाली कं० नं 1बी, 2बी 4 ए तथा 10 बी	चीड़	0	0	2	1	2	1	2	1	0	0	9
	कुकाट	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	आंयार			0	2	0	0					2
	बुरांश			1	1		0					2
योग		0	0	5	4	2	1	2	1	0	0	15
सिविल भूमि कुड कोटला	चीड़			1	1	3	2	0	0	0	0	7
	देवदार		0	1	0	1	3	0	0	0	0	4
योग				2	1	4	5	0	0	0	0	12
	कुल योग			7	5	6	6	2	1	0	0	27

भूमि का प्रकार	वृक्ष प्रजाति	नाप भूमि में अन्य प्रजाति के वृक्ष जो बाधक है, की संख्या										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90से ऊपर	योग
नाप भूमि	देवदार	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3
	चीड़	—	4	17	15	19	11	10	5	5	5	91
कुड कोटला	खड़िक	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	01
	आंयार	—	—	6	6	3	1	—	—	—	—	16
	बुरांश	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	06
	कुकाट	—	2	5	3	2	1	—	—	—	—	13
	मौरु	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
योग		0	06	29	28	26	16	11	5	5	5	131

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में वन भूमि में 34 वृक्ष बाधित हैं, जिसमें 07 वृक्ष बांज के सम्मिलित हैं।

नाप भूमि में कुल 139 वृक्ष बाधित हैं जिनमें 8 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं। मार्ग के समरेखण में कुल 15 वृक्ष बांज प्रजाति के बाधित हो रहे हैं। प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में आ रहे बांज वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के साथ दिनांक 17-10-2015 को किया गया है। उक्त मार्ग के निर्माण से कुड, नाल्ड तथा कोटला के ग्रामवासियों को मुख्य मार्ग से जुड़ने में सुविधा होगी।

वन संरक्षक

यमुना वन उत्तराखण्ड